न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर
केम्प कोर्ट,2 एमएल ते0 श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :—श्री कैलाशचन्द्र शर्मा.आर.ए.एस
अपील प्रकरण स0 10/2016

आनन्दम हाईटस डब्लपर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिऐ डायरेक्टर बिमलादेवीशाह पुत्री श्री बिहारीलाल चौधरी जाति अग्रवाल निवासी 3 वाई—9 जवाहरनगर गंगानगर —अपीलान्टा

बनाम

1—स्टेट आफ राजस्थान

अपील बनाराजी आंशिक इन्तकाल स0 539 दिनांक 20—5—2013 अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधि01954

उपस्थितिः—1—श्री दिनेश छाबडा एडवोकेट—अपीलान्ट
2—श्री सूरजभान नायब तहसीलदार पेरोकार राज

:—आदेशः— दिनांकः— 19 मई ,2016

अपीलान्टा की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि पंजीकृत दस्तावेजात बैयनामा से कृषि भूमि खरीद् की गई है। बैयनामा के आधार पर भूमि 4एमएल के मु0न070 की 3.795 हैक्टयर नहरी भूमि मय खाला का इन्तकाल किया गया। बैयनामा में खरीददार का नाम स्पष्टरुप से अंकित था लेकिन इन्तकाल में नाम छोटे रुप में दर्ज कर दिया गया एंव इसी अनुसार जमाबन्दी में इन्द्राज हो गया। अतः बैयनामा के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर दुरुस्ती करने के आदेश पारित किये जाकर ए0एच0के स्थान पर आनन्दम हाईटम अंकन करने के आदेश पारित किये जावें। अपील मीमों के साथ मियाद के सम्बन्ध में शपथ पत्र एंव दफा 5 का प्रार्थनापत्र सलंग्न प्रस्तुत किया हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0स्टेट को तलब किया जाकर दोनों पक्षों की बहस सुनी गईं वकील अपीलान्टा ने अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा पेरोकार राज ने प्रथम द्वष्ट्रया नामान्तरण में गलती होना स्वीकारा व संशोधन होना उचित बताया तथा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया।

हमने दोनों पक्षों की और से समायत बहस पर मनन किया एंव रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र धारा 5 प्रार्थनापत्र सलंग्न किया। प्रथम द्वष्ट्रया अपीलान्ट की अपील का आधार विश्वसनीय एंव उचित हैं एंव तकनीकी गलतियों को सुधारने के लिऐ ऐसे प्रकरणों में लिमिटेशन की छूट दिया जाना न्यायोचित मानते है। इसलिऐ अपील मियाद में मानी जाती हैं।सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा इन्तकाल में अंकन बैयनामा के अनुसार नहीं कर शार्ट में अंकन कर दिया हैं जो नियमानुसार नहीं होने से अपीलान्टा की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता हैं कि चक 4 एमएल तहसील श्रीगंगानगर नामान्तरण स0 539 दिनांक20—5—2013 के कालम न09 ए0एच0डवलपर्स के स्थान पर बैयनामा के आधार पर आनन्दम हाईटस डब्लपर्स पढा जावे। इसके आधार पर जमाबन्दी में अंकित नोट को भी आनन्दम हाईटस डब्लपर्स पढा जावे शेष अंकन यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व)श्रीगंगानगर एंव ग्राम पंचायत 4 एमएल ते0 श्रीगंगानगर .को प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम कर फैसला शुमार कर दाखिल दफतर की जाती हैं।

आदेश सुनाया गया।

(कैलाशचन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर